न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—286/2013/223 (2013/00072)

1. श्रवण पुत्र काना, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामदेव पुत्र काना,
2. छीतर पुत्र काना,
   जाति गुर्जर, निवासी दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 16.1.2013 अंतर्गत वाद संख्या 190/2009 .

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 21·9·2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांटस ने एक राजस्व वाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के न्यायालय में धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 939 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 944 रकबा 0.90 है0, खसरा नंबर 950 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है0 ग्राम दूदू में स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजियात है । ग्राम दूदू का सेटलमेंट जब हुआ एवं पर्चे दिये गये तब वादी का पिता जीवित था लेकिन पर्चो चकबंदी के समय उपरोक्त भूमि का पर्चा गलत रूप से जारी कर दिया गया एवं उक्त पर्चे में काना की वल्दियत एवं जाति दर्ज नहीं की गई जबकि वास्तविक पर्चा काना पुत्र गंगाराम के नाम से जारी किया जाना चाहिये था । पर्चा जारी किया गया वह निम्न प्रकार है—काना पुत्र ———माली साकिन देह उपरोक्त प्रकार से पर्चा दर्ज करते हुए गलत इंद्राज व जाति गलत इंद्राज के आधार पर दर्ज कर दिया गया, काना का स्वर्गवास हो गया तथा विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व रिकार्ड में पर्चा चकबंदी चला आ रहा है इसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा साथ ही काना पुत्र गंगाराम जाति माली नाम का कोई व्यक्ति नहीं है जबकि काना पुत्र गंगाराम के नाम का व्यक्ति ग्राम दूदू में

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रहता है जिनके कायम मुकाम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है । विवादित आराजी पर कब्जा प्रारंभ से वादीगण के पिता तथा वादीगण का चला आ रहा है । उपरोक्त इंद्राज का हाल में ही दिनांक 4.6.2009 को जानकारी हुई इसलिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे । अधी0नया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया तथा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश हुई थी उससे स्पष्ट था कि प्रार्थीगण के पिता काना का कब्जा काश्त राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव के समय से चला आ रहा है लेकिन गलत रूप से पर्चा वितरित होने से उक्त इंद्राजात सही रूप से अंकित नहीं हो पाया जिसकी दुरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश किया गया था । अधी0न्याया0 ने वाद को गलत रूप से मन्ना को पक्षकार नहीं बनाये जाने और ठोस सबूत पेश नहीं होने के अभाव में वाद को गलत रूप से खारिज किया है । अधी0न्याया0 ने स्वंय ने यह माना है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2018 एवं मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है कि संवत् 2011 में मन्ना वल्द—— कौम मीणा तथा वर्तमान जमाबंदी में काना पुत्र—— माली दर्ज है तथा गिरदावरी में संवत् 2011 से 2018 तक काना के नाम काश्त दर्ज है तो फिर वादी का वाद स्वतः ही डिक्री योग्य था इसके बावजूद मात्र मन्ना वल्द——कौम मीणा को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने स्वंय ने ग्राम पंचायत दूदू से सत्यापन रिपोर्ट मंगवाई थी, जो पत्रावली पर मौजूद थी । उस रिपोर्ट में ग्राम पंचायत ने वाद के सत्यापन को सही रूप से होना मानकर काबिज काश्त होना माना साथ ही खसरा गिरदावरी संवत 2011 से कब्जा काश्त माना, फिर ऐसी कौनसी ठोस साक्ष्य थी जो प्रस्तुत करनी चाहिये थी यह समझ से परे है। अधी0न्याया0 ने यह माना कि कहीं पर काना पुत्र ——माली दर्ज है इसलिये उन्होंने स्वंय ने अपने आदेश दिनांक 22.11.2011 के द्वारा काना पुत्र——माली एवं काना पुत्र——मीणा को नोटिस छाया करने के आदेश दिये थे, जिनको अखबार में साया करवा दिया गया था । यदि अधी0न्याया0 यह माना था कि संवत् 2011 में माना पुत्र—— मीणा का नाम दर्ज है तो उसको भी नोटिस जारी किये जा सकते थे । इस प्रकार मन्ना को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में वाद को खारिज कर भारी भूल की है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु जो विधिक प्रकिया दी गई है उसकी पालना नहीं की तथा तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत होने पर उक्त बिन्दु बाबत् भी तनकी कायम करनी थी तथा दस्तावेजों को प्रदर्श करना चाहिये था इस प्रकार विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना वाद को खारिज करने में भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादी का वाद डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 की जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नहीं थी । हाल में माह मई के प्रथम सप्ताह में जब अभिभाशक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपके वाद का तो निर्णय दिनांक 16.1.2013 को हो चुका है तब प्रार्थी ने

दिनांक 8.5.2013 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 10.5.2013 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित नहीं किया है । अधी0न्याया0 ने वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इन कथनों के साथ पेश किया कि विवादित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है । ग्राम दूदू का सेटलमेंट संवत् 2011 में किया गया तब वरवक्त पर्चा चकबंदी के वादी के पिताजी विवादित भूमि पर काबिज काश्त रहते हुए काश्त करते आ रहे थे किन्तु भूमि पर्चा काना पुत्र——माली सा0देह के नाम से जारी किया गया जबकि काना पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर के नाम से पर्चा जारी किया जाना चाहिये था । अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि पर प्रारंभ से अपीलांट/वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा काना पुत्र ——माली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम दूदू में नहीं है बल्कि वादी के पिता काना की वल्दियत गंगाराम जाति गुर्जर है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.7.2011 को वादग्रस्त आराजी का संवत् 2011 का पर्चा पेश करने, ग्राम पंचायत दूदू से दावा के तथ्यों का सत्यापन लेने एवं सम्पादक दैनिक नवज्योति में दावा के क्लेम का अखबार में प्रकाशन के आदेश दिये थे । दिनांक 29.8.2011 को ग्राम पंचायत दूदू की रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 वादी की और से पेश हुआ । दिनांक 22.11.2011 को काना पुत्र——जाति माली एवं काना पुत्र ———जाति मीणा की अखबार में साया करवाने के आदेश पारित हुए । जिसकी पालना मे वादी द्वारा अखबार प्रकाशन दिनांक 24.11.2011 पेश किया । बावजूद अखबार प्रकाशन के कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि साबिक खसरा नंबर 2278 एवं नवीन खसरा नंबर 939, 944, 950 वाके ग्राम दूदू की भूमि वादग्रस्त भूमि है । मिसल बंदोबस्त संवत् 2011 में भूमि मन्ना वल्द————कौम मीणा के नाम दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी में भूमि काना पुत्र———माली दर्ज है जबकि गिरदावरी संवत् 2011 से 2018 में काश्त काना गुर्जर तो कहीं काना पुत्र गंगाराम गुर्जर के नाम दर्ज है । अखबार में सार्वजनिक नोटिस साया करवाया है किन्तु मन्ना मीणा को पक्षकार नहीं बनाया है । यदि अधी0न्याया0 मन्ना वल्द——कौम मीणा को वाद में आवश्यक पक्षकार मानते थे तो उन्हें निर्णय से पूर्व वादी को मन्ना वल्द——कौम मीणा को वाद में पक्षकार कायम करने हेतु निर्देशित करना चाहिये था । हम न्यायहित में मन्ना वल्द ——कौम मीणा को वाद में प्रतिवादी पक्षकार कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अधी0न्याया0 द्वारा वाद का पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते

है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में मन्ना वल्द———कौम मीणा को प्रतिवादी पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणागुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 21·9·2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर